[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 57/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) – केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में आधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की ततस्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	**तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि**
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 दिसंबर, 2017
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार